भाग ख

पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। 2002–2003 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा 2002-2003 के संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों 2003-2004 के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ अतिरिक्त ब्यौरा इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002–2003	संशोधित 2002–2003	बजट 2003–2004
1. बाजार ऋण	95859.00	99953.00	107194.00
2. अल्पावधि उधार	...	12912.00	...
3. विदेशी सहायता (निवल)	770.36	(-) 13496.29	3581.62
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	17680.00	18250.78	18023.10
5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश	12000.00	3360.00	13200.00
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	8000.00	...	...
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	10000.00	8500.00	7500.00
8. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम आदि की विशेष जमा राशियां (निवल)	9898.20	10280.00	9970.00
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	10997.01	22019.63	25391.21
जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां*	**165204.57**	**161779.17**	**184859.93**

बजट अनुमान 2002-2003 में सरकार के राजस्व पर बजट प्रस्तावों के निवल प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

* *अनुबंध 9 में उपर्युक्त अनुमानों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है।*

1. बाजार ऋणः

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना शुरू की, जिसका संचालन मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग था। नीलामियों के द्वारा खुले बाजार से जुटायी गई उधार की धनराशि के अलावा, राजकोषीय हुण्डियों के दिनांकित प्रतिभूतियों में रुपांतरण, ब्याज रहित परन्तु छूट पर बेचे जाने वाले जीरो-कूपन बाण्ड, किश्तों में भुगतान किये जाने वाले स्टाक, अस्थाई दर बॉण्ड, पूंजी सूचकांकित बॉण्ड आदि जैसे अन्य साधनों से भी ऋण जुटाये जाते है। वर्ष 2001-2002 से सरकार ने सरकारी स्टॉकों की खुदरा बिक्री करने की स्कीम भी प्रारम्भ की है।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान अर्थात 24 फरवरी, 2003 के अंत तक बाजार उधारों के विभिन्न साधनों से सकल आधार पर 149596 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई।

बजट अनुमान, 2003-2004

निम्नलिखित ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 2003-2004 में विमोचन के लिए देय हैः

(करोड़ रुपए)

11.10% सरकारी स्टॉक 2003	6500.00
5.75% ऋण, 2003	378.43
11.00% ऋण, 2003	192.94
11.75% सरकारी स्टॉक 2003	2000.00
11.83% सरकारी स्टॉक 2003	3000.00
6.50% ऋण, 2003	396.45
11.78% सरकारी स्टॉक 2003	5000.00
12.50% सरकारी स्टॉक 2004	11225.67
11.57% सरकारी स्टॉक 2004	4000.00
जोड़	**32693.49**

2. अल्पावधि उधार (364/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रत्येक पंद्रह दिन में 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई थी। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 की अंतिम तिमाही के दौरान बढ़ा दी गई थी। इनसे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शेष में वृद्धि हुई।

3. विदेशी सहायताः

बजट 2002-2003 में विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) से 11338.82 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इसकी तुलना में 2002-2003 के संशोधित अनुमान में 11713.21 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 2003-2004 में 13202.40 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान है।

2002-2003 के बजट में वापसी-अदायगियों के लिए 10563.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि इसकी तुलना में संशोधित अनुमानों में 25209.50 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगी की व्यवस्था की गई है। 2003-2004 में वापसी-अदायगियों के लिए 9620.78 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार विदेशी सहायता से होने वाली निवल प्राप्तियों की राशि 2002-2003 के संशोधित अनुमानों में (-) 13496.29 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट अनुमान 2003-2004 में निवल प्राप्तियां 3581.62 करोड़ रुपए रखी गई है।

सुखद विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों और निम्नतर घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए सरकार ने विश्व बैंक के 1.57 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च-लागत वाले मुद्रा पूल ऋणों और एशियाई विकास बैंक के 1.16 बिलियन अमरीकी डालर के सामान्य पूंजी संसाधन ऋणों की समय-पूर्व वापसी-अदायगी की है। इससे बजट अनुमान 2002-2003 और संशोधित अनुमान 2002-2003 के बीच महत्वपूर्ण घट-बढ़ हुई है तथा विदेशी सहायता से निवल प्राप्तियां (-) 13496.29 करोड़ रुपए रखी जा रही है।

2002–2003 तथा 2003-2004 में विदेशी सहायता की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी–अदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
क. प्राप्तियां			
(i) विदेशी ऋण	*11183.82*	*11313.21*	*12902.40*
(ii) परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	*150.00*	*400.00*	*300.00*
कुल प्राप्तियांः	**11333.82**	**11713.21**	**13202.40**
ख. वापसी-अदायगियां	(-) **10563.46**	(-) **25209.50**	(-) **9620.78**
निवल प्राप्तियांः	**770.36**	(-) **13496.29**	**3581.62**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

4. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) और गैर-सरकारी पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
वसूलियांः			
(i) राज्य सरकारों से	13300.64	11138.74	13216.63
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल वाले)	162.57	240.72	270.88
(iii) अन्यों से	4216.79	6871.32	4535.59
(क) विदेशी सरकारों से	51.80	88.28	57.14
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	4164.99	6783.04	4478.45
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**17680.00**	**18250.78**	**18023.10**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधि अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	2000.00	3500.00	2000.00
(ख) गैर-सरकारी पक्षों से वसूलियों में सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाया जाता है	400.00	430.00	500.00

(?) **राज्य सरकारों से वसूलियांः** वसूलियां राज्यों को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(??) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) से वसूलियांः** वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगीः** संशोधित अनुमान, 2002-2003 में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियों के रूप में 6871.32 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। 2003-2004 के दौरान 4535.59 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
(क) विदेशी सरकारें	51.80	88.28	57.14
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	4164.99	6783.04	4478.45
जोड़	**4216.79**	**6871.32**	**4535.59**

5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश

ये प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण हैं।

6. (क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

लघु बचत योजनाएं:

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा 1,2,3 तथा 5 वर्ष, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-VIII निर्गम, किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि: (?) भारतीय लोक लेखा में 1.4.1999 को एक "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई थी। सरकारी खातों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" नामक एक नया उप-क्षेत्र शुरु किया गया है। सभी लघु बचत संग्रहण (लोक भविष्य निधि सहित) इस निधि में जमा किए जाते है। इसी प्रकार जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी आहरण इस निधि में जमाराशि से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश पद्धति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार है। डा0 वी.वी.रेड्डी, तत्कालीन उपाध्यक्ष,भारतीय रिजर्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित प्रशासित ब्याज दरों तथा अन्य संबद्ध विषयों संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र(विधान मंडल वाले) में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित समस्त धनराशि(अंशदाताओं द्वारा निकाली गई राशि को घटाकर सकल जमाराशि) को 1 अप्रैल, 2002 से उनकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) सरकारों को दिया जा रहा है। इन सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन निधि की आय है जबकि ब्याज की लागत और लघु बचत स्कीमों की प्रबंधन निधि का व्यय है।

(ii) "केन्द्र सरकार द्वारा एनएसएसएफ को जारी" विशेष प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

(iii) वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जारी इन विशेष प्रतिभूतियों पर 10.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

स्रोत और उपयोग:

(?) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए हैं:-

सारणी-I

31 मार्च की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2001-2002 (अनन्तिम)	2002-2003 (सं. अ.)	2003-2004 (ब. अ.)
निधियों के स्रोत			
बचत जमाराशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	80653.72	105077.92	139847.92
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	24424.20	34770.00	41950.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	138040.74	149665.92	159245.92
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	11625.18	9580.00	6750.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	41454.23	49313.10	59363.10
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	7858.87	10050.00	12500.00
कुल जमा राशि	**304056.94**	**358456.94**	**419656.94**
निधियों का उपयोग			
दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया़ शेष राशियों के प्रति केद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	176220.92	176220.92	176220.92
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहित राशियों के प्रति केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	17295.14	26049.69	26049.69
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	8754.55	...	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	60201.70	95219.86	147419.86
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	35018.16	52200.00	60000.00
प्रतिभूतियों में कुल निवेश	**297490.47**	**349690.47**	**409690.47**
बकाया आय/व्यय लेखा	2796.65	4447.86	8068.30
नकद शेष	3769.82	4318.61	1989.17
जोड़	**304056.94**	**358456.94**	**419656.94**

(??) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों अर्थात (रा.ल.ब.नि. की प्राप्तियां,संवितरण, निवेश, आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा जिसमें वर्ष 2001-2002 के "वास्तविक" ब.अ. और सं.अ. 2002-03 तथा ब.अ. 2003-04, **अनुबंध -8** में सारणीबद्ध किए गए हैं।

(ख) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जिन्हें भी भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2001-2002 (अनन्तिम)	2002-2003 (सं. अ.)	2003-2004 (ब. अ.)
सकल	548	450	450
निवल	498	380	365

7. **राज्य भविष्य निधियां:** इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेन-देन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से सम्बद्ध होते हैं। पूर्वानुमानित क्रेडिट निधियों में जमा की गई राशि ब्याज तथा उसमें से निकासियों/अस्थाई अग्रिमों सहित कम की गई निवल राशि है। पहली अप्रैल, 2002 से जमा रकमों पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। 2002–2003 के बजट में इन निधियों में कुल 10000 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था जिसकी तुलना में संशोधित अनुमान 8500 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2003-2004 के बजट में 7500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति आंकी गई है।

8. **विशेष जमा योजनाएं:** गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता और उपदान निधियों और जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि की अधिशेष निधियों से सरकार के पास विशेष जमाओं में प्राप्त राशियां संशोधित अनुमान 2002-2003 में 10280.05 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। बजट अनुमान 2003–2004 में इस मद में 9970 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वृद्धियां निवल शेष पर ब्याज संदाय के पुनर्निवेश के कारण हैं।

9. **अन्य प्राप्तियां:** इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों, जमाराशियां आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेन-देनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैः

(i) ***राहत बांड:*** 8% राहत बांड दिनांक 1.3.2002 से आरम्भ किए गए और बांडों में निवेश की अधिकतम सीमा प्रति निवेशक प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए पर निर्धारित की गई। तदनंतर 8 प्रतिशत राहत बांडों की योजना को 22 अप्रैल, 2002 और 14 मई, 2002 से पुनःसंशोधित किया गया और इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में उनकी सेवानिवृत्ति/सीमांत लाभों से प्रति निवेशक प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को हटाने की व्यवस्था है। बांडों पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है और उनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। सरकार ने 1 अक्तूबर, 2002 से बिना किसी निवेश सीमा निर्धारण के अनिवासी भारतीयों को छोड़कर व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अंशदान प्रदान करने संबंधी **7 प्रतिशत बचत बांड,2002** योजना प्रारंभ की है। ये बांड धनकर और उस पर अर्जित ब्याज आयकर से छूट प्राप्त है। तथापि,संबंधियों को उपहार स्वरूप मिले बांडों को छोड़कर, ये बांड अहस्तान्तरणीय हैं तथा गौण बाजारों में बिक्री योग्य नहीं हैं तथा साथ ही ऋणों के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी पात्र नहीं हैं।

(ii) ***रेलवे प्रारक्षित निधियां:***

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	6223.89	6089.70	6544.31
नामे	6000.00	5850.00	6500.00
निवल	(+) 223.89	(+) 239.70	(+) 44.31
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	2107.35	2154.90	2170.81
नामे	2045.00	1886.00	2000.00
निवल	(+) 62.35	(+) 268.90	(+) 171.81
रेलवे विकास निधि			
जमा	550.04	550.04	600.04
नामे	550.00	550.00	600.00
निवल	(+) 0.04	(+) 0.04	(+) 0.04
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	19.03	0.94	1.01
नामे	17.43	...	...
निवल	(+) 1.60	(+) 0.94	(+) 1.01
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	452.73	452.74	435.74
नामे	450.00	264.00	433.00
निवल	(+) 2.73	(+) 188.74	(+) 2.74
विशेष रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	2210.00	2310.00	2310.00
नामे	2210.00	2310.00	2310.00
निवल	...	...	(-) 0.66
जोड़	**(+) 290.61**	**(+) 698.32**	**(+) 219.25**

(क) *रेलवे पेंशन निधि:* रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2002-2003 में निधि में 6089.70 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि

की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 39.70 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 5850 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था। वर्ष 2003-2004 के दौरान इस निधि में 49.31 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6544.31 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान है। इसकी तुलना में 6500 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि* : इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2002-2003 में सामान्य राजस्व से 51.90 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 2154.90 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2002-2003 में 1866.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2003-2004 के संबंध में क्रेडिट 2171.81 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 66.81करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 2000.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना है, जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता है। दिनांक 1.4.93 से दुर्घटना क्षतिपूर्ति और यात्री सुविधा निधि को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ए.सी.एस.पी.एफ. को प्रभार्य सुरक्षा और यात्री सुविधा कार्यो को भी अब रेलवे विकास निधि में प्रभारित किया जाता है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान रेलवे विकास निधि को 550.04 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया था, 550.00 करोड़ रुपए वर्ष 2002-2003 में अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 0.04 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2002-2003 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 550.00 करोड़ रुपए हैं। 2003-2004 के दौरान निधि मे क्रेडिट 600.84 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है, 600.00 करोड़ रुपए 2003-2004 में अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 0.04 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2003-2004 के दौरान निकाली गई राशियां 600.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निधि को प्रभार्य कार्य शामिल होंगे।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का सृजन इसलिए किया गया है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान निधि में जमा राशि 0.94 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पूर्णतः वह ब्याज है, जो निधि में बकाया राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय होता है। वर्ष 2003-04 के दौरान उस निधि में 1.01 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी, जो निधि में बकाया राशि पर देय ब्याज का घोतक है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में किसी निकासी का विचार नहीं है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिंगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्त पोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण रेलवे राजस्वों अर्थात् सामान्य राजस्वों को लाभांश भुगतान के बाद बच गई अतिरिक्त धनराशि, केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2002-2003 के दौरान जमा राशि 452.74 करोड़ रुपए रखी गई है। निधि से 264.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2003-2004 के दौरान 435.74 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 433.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(च) *विशेष रेलवे सुरक्षा निधिः* रेलवे सुरक्षा पुनरीक्षण समिति (1998) की सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 2001-02 में विशेष रेलवे सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है, जिससे 6 वर्षों की निश्चित अवधि में प्रतिस्थापन संबंधी बकायों को निपटाया जा सके तथा बहुत पुरानी रेलवे परिसम्पत्तियों का नवीकरण किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है, 12,000 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि यात्री किराए पर सुरक्षा उप-प्रभार लगा कर रेलवे द्वारा जुटाई जाएगी। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि ब्याज रहित निधि है।

चालू वर्ष के दौरान, 2310 करोड़ रुपए की राशि इस निधि में क्रेडिट की जा रही है, जिसमें सामान्य राजस्व से प्राप्त 1350 करोड़ रुपए तथा रेलवे के हिस्से के रूप में 960 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। निधि में से बहिर्गमन की राशि भी 2310 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 2003-2004 के दौरान, इस निधि में 2310 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है, जिसमें से सामान्य राजस्व द्वारा 1600 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे तथा 710 करोड़ रुपए रेलवे के हिस्से के रुप में होंगे। वर्ष 2003-2004 के दौरान इस निधि से 2310 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित की गई है।

(iii) ***अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं***

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2002–2003			संशोधित 2002–2003			बजट 2003-2004		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	872.13	...	872.13	1014.34	0.65	1013.69	714.06	...	714.06
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	82.17	35.00	47.17	82.17	35.00	47.17	116.20	53.20	63.00
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3.75	...	3.75	3.90	...	3.93	0.01	...	0.01
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	20.00	6.00	14.00	19.73	18.42	1.31	20.00	21.00	(-) 1.00
5. एशियाई विकास बैंक	10.00	5.00	5.00	1.78	...	1.78	6.51	...	6.51
6. अफ्रीकी विकास निधि और बैक	9.81	4.39	5.42	9.08	4.41	4.67	9.08	4.36	4.72
जोड़	**997.86**	**50.39**	**947.47**	**1131.03**	**58.48**	**1072.55**	**865.86**	**78.56**	**787.30**
एस.डी.आर.	***1013.81***	***1008.85***	***4.96***	***1097.90***	***1054.64***	***43.26***	***812.80***	***807.78***	***5.02***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : कोष के करार-अनुच्छेद के मूल्य अनुरक्षण उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष

ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। वर्ष 2002-2003 के दौरान हमने इस शीर्ष के अंतर्गत 872.13 करोड़ रुपए प्रावधान रखा था। हमने 30 अप्रैल, 2002 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1014.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष के शेष भाग में किसी और व्यय की संभावना नहीं है। वर्ष 2003-2004 में बजट अनुमान के रुप में 714.06 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुमानित है।

आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 में रुपया शेष राशियों के कम हो जाने पर 2003-2004 के दौरान आवश्यक हो गए पुनः खरीद लेन-देनों के कारण आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना आवश्यक हो गया है। सं०अ० 2002-2003 में 0.65 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 1991-93 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुविधा के पुनर्खरीद कार्यक्रम को पूरा किये जाने को देखते हुए प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिये बजट अनुमान 2003-2004 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2002-2003 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में 'विशेष आहरण अधिकार' नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2002-2003 में कुल जमा की गई राशि 1097.90 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 1097.90 रुपए प्रतिपक्षी डेबिट किए जाएगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2002–2003 के संशोधित अनुमान में 1054.64 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 1054.64 करोड़ रुपए एस.डी.आर. लेखे में प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2003-2004 के दौरान 812.80 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 807.78 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण के रूप में 2002–2003 के बजट अनुमानों तथा 2002-2003 के संशोधित अनुमान दोनों में 82.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ब०अ० 2003-2004 में इस उद्देश्य के लिए 116.20 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2002–2003 और संशोधित अनुमान 2002-2003 में 35.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। बजट अनुमान 2003-2004 प्रत्येक में इस प्रयोजनार्थ 53.2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): अंतर्राष्ट्रीय विकास संघः बजट अनुमान 2002-2003 में 3.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित करके संशोधित अनुमान आंकड़े में 3.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट अनुमान 2003-2004 के लिए 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईडीए-13 को संशोधित अनुमान 2002-2003 की राशि से पूर्णतया अभिदत्त किया जाएगा।

आईडीए की प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान 2002-2003 और संशोधित अनुमान 2002-2003 में शून्य प्रावधान किया गया था। बजट अनुमान 2003-2004 के लिए भी प्रावधान शून्य रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने के समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में दिसंबर 2002 तक 43 मिलियन डालर का अंशदान किया है। सिवाय 8 मिलियन अमरीकी डालर के जिसे अगस्त, 2002 में पांचवीं पुनःपूर्ति की पहली और दूसरी किश्त के लिए भा. रि. बैक के माध्यम से नकद भुगतान किया गया था, भुगतान भा.रि. बैक द्वारा आईएफडी के पक्ष में धारित अपरक्राम्य निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां जारी कर किए जाते है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। अक्तूबर,2002 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2002-2003 और वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रशासन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए नकद शेष समुचित रहेगा इसलिए संशोधित अनुमान 2002-2003 और बजट अनुमान 2003-2004 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इन दोनों ही संस्थाओं में शामिल हो गया है।

2. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैक के सदस्य के रुप में भारत को इन संगठनों के पूंजी पुनर्भरणों की वचनबद्धता के अपने हिस्से का भुगतान करना है। एडीएफ VIII पुनःपूर्ति तक भारत ने अफ्रीकी विकास निधि के संसाधनों में कुल 122.48 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया है। इससे भी बढ़कर भारत ने अफ्रीकी विकास निधि IX यू.ए.412 4340 अर्थात 24.74 करोड़ रुपए के अंशदान की वचनबद्धता दी है। यह राशि तीन किश्तों में अदा की जानी अपेक्षित है। एडीएफ IX के अधीन लगभग 8.25 करोड़ रुपए की पहली किश्त का भुगतान वर्ष 2002-2003 के दौरान देय है। एडीएफ की वर्तमान नकदीकरण समय अनुसूची के आधार पर हमें वर्ष 2002-2003 में 3.58 करोड़ रुपए और वर्ष 2003-2004 में 3.53 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का नकदीकरण करना है।

3. जीसीआई-IV तक भारत ने अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टाक में 5.40 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के तहत भारत को 1860 शेयर आवंटित किये गये है। इनमें से 112 शेयर प्रदत्त हैं तथा शेष 1748 शेयर मांग योग्य हैं। प्रदत्त शेयरों के प्रति भारत का अंशदान 1 यू.ए. = 1.20635 अमरीकी डालर की नियत विनिमय दर पर यू.ए. 1120000 के समकक्ष 13,51,112 अमरीकी डालर है। प्रदत्त शेयरों का भुगतान आठ समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। अफ्रीकी विकास बैक को पहली किस्त का भुगतान नकद और दूसरी व तीसरी का 2.41 करोड़ रुपए की किस्तों में मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदीकरण कराए जाने वाले नोटों में क्रमशः वर्ष 2000-2001,2001-2002 और 2002-2003 में अदा किए है। अफ्रीकी विकास निधि को 2003-2004 में लगभग चौथी किस्त के 0.83 करोड़ रुपए का भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदी कराए जाने वाले नोटों में किया जाएगा।

(iv) अन्य मदें:

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा, न्यायालय जमा आदि शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क की कटौती को देखते हुए तेल समन्वय समिति के जमा खाते के अधीन बकाया राशियों को अगले वर्ष के खातों में अग्रेनीत नहीं किया जा रहा है। यह प्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है।